न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 07/2016

प्रार्थी :–

1. श्री लीलाराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति लुहार निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री कूपाजी जाति माली निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा ।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री श्रवणसिंह राणावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या –1 अनुपस्थित।
3. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांक 18.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या –1 के हक में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 21351 दिनांक 05.05.2011 बुक संख्या 214 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राणावत द्वारा जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या –2 ने अप्रार्थी संख्या –1 के हक मे विधि विरूद्ध पारित बुक संख्या 214 पट्टा संख्या 21351 दिनांक 05.05.2011 क्षेत्रफल 800 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। पट्टा जारी करते समय मिसल संधारित नहीं की गई है और न ही आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश कि[illegible] अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है [illegible] प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र [illegible] की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है [illegible] कारण पंचायत [illegible] आर्थिक क्षति हुई है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही [illegible] नहीं की गई है। [illegible] अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य [illegible]म 1996 के नियम 158 [illegible] जारी किया गया है, अतः पट्टा निरस्त करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या –1 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राणावत को 30 मौके पूर्व में दिए जाने के बावजूद भी किसी तरह का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा नियमों के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत ही जारी किया गया है। पट्टा जारी करते समय पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। प्रार्थी आदतन शिकायती प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो झूठी शिकायत कर परेशान हैरान करने की नियत से निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

मैने प्रार्थी के लायक अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या –1 के लायक अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया । संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जहॉ तक अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है जिसके तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से न्यायालय के ध्यान में, ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा की गई कार्यवाही को लाये जाने से इस प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया जाना मैं उचित समझता हूँ। अप्रार्थी सं.–1 को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर पता लगता है कि प्रार्थी श्री लीलाराम पुत्र श्री सांकलाराम ने दिनांक 18.09.2012 को जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही को विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा से जरिये पत्र क्रमांक 1661–62 दिनांक 12.10.2012 द्वारा कार्यालय जिला कल[illegible] को [illegible] उक्त जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि से अति[illegible] 12[illegible]2012 से पूर्व हटा दिया गया है जबकि पट्टा पुराने कब्जे के आधार दिनांक 05[illegible] को जारी किया गया है। इस पट्टे को जारी करने की कोई भी मिसल नियमानुसार संधारित नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत नियमानु[illegible] जारी हुआ है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टा बैक डेट में जारी किया गया है। इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए यह न्यायालय अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के हक में जारी पट्टे को न्यायसंगत एवं विधि अनुरूप नहीं मानता है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक के हक में सरप ंच ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 21351 दिनांक 05.05.2011 बुक संख्या 214 को निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा उक्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर पालना से एक माह में अवगत करावें एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा के विरूद्ध पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाई अपने स्तर से सम्पादित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner